संख्या-3/2015/355एस0ची0उ0अनु0-1/15-2511/2013टी0सी0

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी/गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 07 मई, 2015

विषय:-शासनादेश संख्या-297एस0ची0उ0अनु0-1/15-2511/2013टी0सी0 दिनांक 26-3-2015 के द्वारा सोसायटी कमीशन के मद में प्रतिपूर्ति हेतु पुनर्विनियोग कर स्वीकृत रू0 25,74,90,000 के सापेक्ष पी0एल0ए0 में स्थानान्तरित धनराशि रू0 5,60,57,782-00 को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1538/क्रय दिनांक 08-04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-24 के आयोजनेत्तर के अन्तर्गत प्रदेश के कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु चीनी मिलों को अतिरिक्त सहायता/रियायत की प्रतिपूर्ति-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत हो रही बचतों की धनराशि रू0 25,74,90,000/- को पुनर्विनियोग करते हुए सोसायटी कमीशन प्रतिपूर्ति मद में व्यय किये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-06 सहकारी समितियों को सहायता-0601-सहकारी गन्ना समितियों को सोसायटी कमीशन की प्रतिपूर्ति-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में डाले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष चीनी मिलों के प्रतिपूर्ति दावों के बिल तैयार कर रू0 20,14,32,218-00 (रू0 बीस करोड़ चौदह लाख बत्तीस हजार दो सौ अटठारह मात्र) की धनराशि कोषागार द्वारा पारित करते हुए संबंधित चीनी मिलों के खाते में स्थानान्तरित की जा चुकी है किन्तु रू0 5,60,57,782-00 (रू0 पॉच करोड़ साठ लाख सत्तावन हजार सात सौ बयासी मात्र) का भुगतान बिलों की तैयारी एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2013-14 के देयों का भुगतान हो पाना सम्भव नहीं हो पाने के कारण उपर्युक्त रू0 25,74,90,000/- (रू0 पच्चीस करोड़ चौहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 5,60,57,782-00 (रू0 पॉच करोड़ साठ लाख सत्तावन हजार सात सौ बयासी मात्र) अवशेष रहने के कारण चीनी मिलों को उनके प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों के विरूद्ध भुगतान किया जाना आवश्यक होने के कारण उपर्युक्त अवशेष धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0 5,60,57,782-00 (रू0 पाँच करोड़ साठ लाख सत्तावन हजार सात सौ बयासी मात्र) को वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त व्यय किये जाने हेतु गन्ना विभाग के अधीन लेखाशीर्षक-822900105000000—**UP SUGAR FACTORIES REHABILIATION M & ESTA FUND** के अन्तर्गत पी0एल0ए0 खाते में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-324एस0ची0उ0अनु0-1/15-2511/2013टी0सी0 दिनांक 31-3-2015 द्वारा प्रदान की गयी थी।

3- पेराई सत्र 2013-14 के अवशेष कमीशन का भुगतान करते हुए चीनी मिलों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रेषित किये गये दावों के क्रम में चीनी मिलों को कमीशन मद में भुगतान की गयी धनराशि हेतु पी0एल0ए0 खाते में जमा उक्त धनराशि रू0 5,60,57,782-00 (रू0 पाँच करोड़ साठ लाख सत्तावन हजार सात सौ बयासी मात्र) को अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6/254/दस/2015 दिनांक 01 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3/2015/355(1)एस0ची0उ0अनु0-1/15-तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय चीनी आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7- चीनी उद्योग अनुभाग-2/3
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।